



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 526]
No. 526]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1997/भाद्रपद 24, 1919
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 1997/BHADRA 24, 1919

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1997

का. आ. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 836 (अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—
उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(vi-क) तंबाकू सेवन या धूम्रपान को बढ़ावा देने, न्यायोचित ठहराने या उसे गौरवान्वित करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं।”

[सं 808/4/96-एफ(सी)]

रघु मैनन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ. सं. 836 (अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1997

S.O. 655(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5B of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting in No. S.O. 836 (E) dated the 6th December 1991, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, after item (vi) and the entry relating thereto, the following item and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

“(vi-a) scenes tending to encourage, justify or glamorise consumption of tobacco or **smoking are not shown.**”

[No. 808/4/96-F(C)]

RAGHU MENON, Jt. Secy.

FOOT NOTE :— The principal notification was published, *vide* S.O. No. 836 (E) dated the 6th December, 1991 in the Gazette of India: Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii).

